

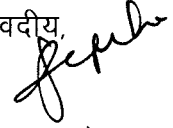
कार्यालय अपर प्रमुखा वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या 1914/1जी-FP/UK/Others/9741/2015 देहरादून: 06 जनवरी, 2016

सेवा में,
अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन

विषय:-जनपद उत्तरकाशी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान पर 42
मी स्पाण का स्टील गर्डर पुल का निर्माण हेतु - 0.224 है० वन भूमि
हस्तांतरण FP/UK/Others/9741/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड
कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा
है। प्रस्ताव का राष्ट्रीय वन्यजीव सलाहकार परिषद् द्वारा अनुमोदन प्राप्त है जो उनके 36 वॉ बैठक
दिनांक 9.11.2015 के संलग्न कार्यवृत्त बिंदु सं० 36.4.1.15 पर अवलोकनीय है। प्रस्ताव वन्यजीव
अभ्यारण्य से संबंधित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु भारत
सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(एस०टी०एस०लेप्चा)
अपर प्रमुखा वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

संख्या : /1जी-FP/UK/Others/9741/2015 तददिनांकित

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, देहरादून।
3. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी.एम.जी.एस.वाई/राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. उप निदेशक, गोविंद पशु विहार, पुरोला
6. अधिशासी अभियंता, नि०ख०, लो०नि०वि, पुरोला।

(एस०टी०एस०लेप्चा)
अपर प्रमुखा वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:

जनपद उत्तरकाशी में रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान पर 42 मी स्पान का स्टील गर्डर पुल का निर्माण हेतु - 0.224 है० वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/Others/9741/2015

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशों। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु गोविंद पशु विहार वन प्रभाग में धौला कक्ष सं० 1 में 0.224 है० आरक्षित वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, गोविंद पशु विहार वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, वन्यजीव द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। प्रस्ताव का राष्ट्रीय वन्यजीव सलाहकार परिषद् द्वारा अनुमोदन प्राप्त है जो उनके 36 वॉ बैठक दिनांक 9.11.2015 के संलग्न कार्यवृत्त बिंदु सं० 36.4.1.15 पर अवलोकनीय है। अतः जनहित में, प्रस्ताव वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०लेप्चा भा.व.से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण एवं

नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 6/1/2016
स्थान: देहरादून